पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक (प्रशासन)
हाजीपुर

सं.पूमरे / प्रशा. / फायर फायटिंग / 26 दिनांक : 28.04.2020

सभी विभागाध्यक्ष,
सभी मंडल रेल प्रबंधक
एवं
मुख्य कारखाना प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल .

विषय : महाप्रबंधक कार्यालय , पूर्व मध्य रेलवे , हाजीपुर में अग्निशामक प्रणाली के सुचारू संचालन हेतु " ज्वाएंट प्रोसीजर आर्डर" .

****

महाप्रबंधक कार्यालय, पूर्व मध्य रेलवे , हाजीपुर में अग्निशामक-प्रणाली के सुचारू संचालन हेतु सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी के साथ मुख्यालय स्तर पर अग्निशामक प्रणाली के सुचारू संचालन हेतु " ज्वाएंट प्रोसीजर आर्डर" निर्गत किया गया है . इस पत्र के साथ " ज्वाएंट प्रोसीजर आर्डर" की प्रति कुल 04 पृष्ठों में संलग्न है .

आपसे अनुरोध है कि पूर्व मध्य रेल पर अग्निशामक प्रणाली के बेहतर एवं सुचारू संचालन हेतु इसका अनुपालन सुनिश्चित करें .

28/04/2020
(आलोक कुमार झा)
उप महाप्रबंधक (सा.)

प्रतिलिपि :- 1. महाप्रबंधक के सचिव को महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित .
2. अपर महाप्रबंधक के निजी सचिव -1को अपर महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित .

उप महाप्रबंधक (सा.)

28/04/2020.

upload on website.

महाप्रबंधक कार्यालय , पूर्व मध्य रेलवे , हाजीपुर में अग्निशामक प्रणाली के सुचारू संचालन के क्रम में .

" ज्वाएंट प्रोसीजर आर्डर"

विषय : महाप्रबंधक कार्यालय , पूर्व मध्य रेलवे , हाजीपुर में अग्निशामक व्यवस्था .

******

महाप्रबंधक कार्यालय , पूर्व मध्य रेलवे , हाजीपुर में अग्निशामक प्रणाली के सुचारू संचालन के हेतु संबंधित विभागों की जिम्मेदारी निम्न प्रकार है :-

क्रम सं.	कार्य का विवरण	विभाग जिसके द्वारा कार्यवाही की जानी है
1.	भवन में कार्यरत सभी स्टाफ एवं अधिकारीयों को भवन में लगाए गए फायर फायटिंग सिस्टम की जानकारी दी जाय ताकि आग लगने के किसी भी घटना के होने पर उन्हें इन उपकरणों की तथा उन्हे क्या करना है , इसकी जानकारी हो . इस कार्य की जिम्मेदारी प्रत्येक पीएचओडी के सचिव की होगी . वे अपने अधीन कार्यरत सभी स्टाफ के लिए सेंसीटाईजेशन प्रोग्राम कराए . सेंसीटाईज करने के लिए फायर उपकरण लगाने वाले ठेकेदार व रेसुब के प्रशिक्षित स्टाफ को बुलाया जाय.	सभी विभागाध्यक्षों के सचिव सहायक सुरक्षा आयुक्त (पीएस), फायर अधिकारी / मुख्यालय .
2.	किसी भी आग लगने की घटना होने पर फायर ब्रिगेड एवं होज उपकरणों को चलाने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ के आने में कुछ समय लग सकता है . चूँकि आग तेजी से फैलाती है . अत: छोटी - मोटी आग को बंद करने का प्रशिक्षण प्रत्येक तल में कुछ लोगो को दिया जाय ताकि आग के बढने के पूर्व ही वे उपलब्ध उपकरणों का इस्तेमाल कर इसे बंद कर सके . इसके लिए आवश्यकतानुसर प्रत्येक तल में कम से कम 10-15 स्टाफ को फायर एक्सटिंग्यूसर्स चलाने एवं होज रील के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाय . प्रत्येक तल पर सक्षम एवं इक्छुक स्टाफ को नामित करें , जिन्हे इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जायगा. यदि किसी विभाग में सिविल डिफेन्स का स्टाफ हो तो उन्हें नामित किया जाना बेहतर है ; क्योंकि वे इस तरह का प्रशिक्षण पहले भी ले चुके है . सभी विभागाध्यक्षों के सचिव अपने-अपने तल पर 10 से 15 स्टाफ को चुनेंगें . सहायक सुरक्षा आयुक्त (यात्री सुरक्षा) उन्हें सुरक्षा बल स्टाफ द्वारा प्रशिक्षित कराना सुनिश्चित करेंगें .	सभी विभागाध्यक्षों के सचिव , सहायक सुरक्षा आयुक्त (पीएस), फायर अधिकारी / मुख्यालय .
3.	भवन में फायर अलार्म लगाने का कार्य विद्युत विभाग द्वारा कराया गया है . जिसकी व्यस्था विद्युत से चलती है . अत इन व्यस्थाओ के सुचारू रूप से संचालन के लिए विद्युत आपूर्ति की जिम्मेदारी विद्युत विभाग की रहेगी . इस संबंध में , एएमसी के लिए बिजली विभाग का उपयुक्त अधिकारी (टेंडर कमेटी सदस्य) , तकनीकि उपयुक्तता की जाँच करेगा एवं एएमसी होने के पश्चात इन उपकरणों के संबंध में तकनीकी समन्वय करेगा . एएमसी दिए जाने के बाद भी एसएसइ-विद्युत की जिम्मेदारी निम्न रहेगी :- 1. प्रति दिन पंप हाउस के सिस्टम को चेक करेंगे . 2. इमरजेंसी लाइट में सप्लाई बंद होने पर तुरंत चालू हो जाए, सुनिश्चित करेंगे.	अपर मंडल रेल प्रबंधक-II/सोनपुर

11/3/20

4.	1. प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूसर्स लगे हुए है . इनको टी एंड पी स्टॉक बुक में आरपीएफ द्वारा लिया जायेगा एवं उसकी निर्धारित जगह पर उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी. 2. प्रत्येक तल पर दोनों किनारे पर फायर बॉक्स बने है . जिनके दरवाजे में ताले लगे है . इन फायर बॉक्स में होज पाईप एवं होज रील उपलब्ध है . चूँकि चाबी को खुले में रखने से उसके गुम होने की संभावना है . अत प्रत्येक फायर बॉक्स की चाबी उसके नजदीक स्थित कार्यालय अधीक्षक के कार्यालय में किसी निर्दिष्ट जगह पर रखी जाय . इस चाबी को सही तरीके से रखने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय अधीक्षक की रहेगी . उसी कार्यालय अधीक्षक को इन होज पाईप व होज रील का चार्ज लेना होगा . 3. स्टेयर केस बाधा मुक्त रखने की जिम्मेदारी सभी विभागों की रहेगी. रेसुब द्वारा समय - समय पर इसे चेक किया जायेगा . 4. भवन के अंदर किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ नही रखे जायेंगे एवं न ही भंडार किये जायेंगे . यह जिम्मेदारी सभी विभागों की होगी . रेसुब द्वारा भी समय - समय पर इसे चेक किया जाएगा.	सभी विभागाध्यक्षों के सचिव सहायक सुरक्षा आयुक्त (पीएस), फायर अधिकारी / मुख्यालय .
5.	<u>सामान्य दिनों में :-</u> 1. निरीक्षक, आरपीएफ पोस्ट प्रत्येक दिन कम से कम एक बार सभी फायर उपकरणों की उपलब्धता चेक करेंगे. इस संबंध में एक रजिस्टर खोला जाएगा . जिसमे प्रतिदिन इंद्राज किया जाय . 2. प्रतिदिन किसी Hydrant को खोलकर पंप सिस्टम को कार्यावस्था में होने को चेक किया जाएगा. इसका इंद्राज भी रजिस्टर में किया जाएगा . 3.चेक करने के दौरान यदि कोई कमी पाई जाती है ; जैसे - फायर एक्सटिंग्यूसर्स अवधि पार हो गया हो , होज पाईप डेमेज हो गए हो इत्यादि तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को दी जाएगी . क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रण कक्ष में इस मद के लिए रखे गए रजिस्टर में भी इसका तुरंत इंद्राज किया जाएगा तथा कमी पूर्ण होने पर तिथि के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा . **आग लगने / फायर अलार्म के बजने की स्थिति में :-** 1. फायर अलार्म कंट्रोल पैनल नये महाप्रबंधक भवन के सभी भवनों में ground Floor पर लगा है एवं उससे जुड़ा प्रत्येक फ्लोर पर अलार्म सिस्टम लगा हुआ है . आग लगने की स्थिति में उपलब्ध सुरक्षा कर्मचारी फायर अलार्म / हूटर चालू करेंगे . सोनपुर मंडल द्वारा फायर हूटर स्वागत कक्ष पर लगाया जाये एवं उसका उचित रख -रखाव किया जाये . अलार्म बजने की स्थिति में रेसुब पोस्ट रोजनामचा ड्यूटी पर कार्यरत स्टाफ कंट्रोल पैनल पर देखेगें कि किस स्थान पर घटना घटित हुई है . वाकी टाकी अथवा अन्य साधनों द्वारा वे उसके नजदीकी ड्यूटी कर रहे रेसुब स्टाफ /ड्यूटी ऑफिसर को उस स्थान को चेक करने की हिदायत देंगे . यदि आसपास कोई स्टाफ नही हो तो क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रण कक्ष के दो में से कोई एक स्टाफ दौड़कर इस घटना घटित होने वाले स्थान को	सहायक सुरक्षा आयुक्त (पीएस), अपर मंडल रेल प्रबंधक-II/सोनपुर.

17/3/20

	चेक करेगा तथा स्थिति के बारे में क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रण व निरीक्षक , आरपीएफ पोस्ट को वाकी टाकी द्वारा सूचित करेगा . 2. स्टाफ से सूचना प्राप्त होने पर स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रण कक्ष , सभी स्टाफ / अधिकारीयों , फायर ब्रिगेड , पुलिस स्टेशन व अस्पताल को सूचित करेगा . 3. प्रत्येक पारी में कम से कम दो ऐसे प्रशिक्षित स्टाफ लगाए जाएगे जिनको फायर सिस्टम की पूरी जानकारी हो तथा होज पाईप को स्वयं इस्तेमाल कर सकते हो . 4. आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही सभी दरवाजे पर लगे स्टाफ को हिदायत दी जाएगी की सभी दरवाजों को पूरी तरह खोल दें तथा फायर टेंडर को आने के लिए पार्किंग स्थल को खली कराएं 5. क्षेत्रीय सुरक्षा कक्ष स्टाफ को छोड़कर तथा गेट पर लगे स्टाफ को छोड़कर बाकी सभी स्टाफ जहां आग लगी है उस ओर दौड़ कर सिखाए गए तरीके से उपकरणों का इस्तेमाल कर आग को बुझाने का प्रयास करेंगे . 6.क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रण कक्ष स्टाफ से आग लगने का स्थान एवं प्रकार पता चलते ही बाहर आने के लिए सुगम रास्तों की माईक द्वारा उद्घोषणा करेंगे ताकि लोगो में हडकंम्प न हो तथा सुचारू रूप से भवन को खली कराया जा सके .	
6.	**मॉक ड्रिल :-** प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार मॉक ड्रिल कराया जाएगा . इसे ससुआ यात्री सुरक्षा आयोजित करायेंगे तथा सभी विभागाध्यक्षों के सचिव सहयोग करेंगे . इसमे सभी विभाग एवं ठेकेदार के कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि सभी व्यक्ति प्रशिक्षित हो सके . मौक ड्रिल के पहले कम से कम दो बार सभी विभागों को शामिल कर उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों का व्यौरा देते हुए प्रशिक्षण दिया जाएगा .	सहायक सुरक्षा आयुक्त (पीएस), सभी विभागाध्यक्षों के सचिव .
7.	1. इंजीनियरिंग विभाग यह सुनिश्चित करेगा की वाटर टैंक में फायर विभाग को दी गई अंडरटेकिंग के अनुसार कम से कम 1.5 लाख लीटर पानी हर समय उपलब्ध रहे . 2. इसे सुनिश्चित करने के लिए वाटर टैंक में 1.5 लाख लीटर लेवल के उपर सेंसर लगाया जाए ताकि पानी उसके नीचे जाते ही मोटर अपने आप चालू हो जाए एवं किसी भी समय 1.5 लाख लीटर से कम पानी टैंक में उपलब्ध न हो .	अपर मंडल रेल प्रबंधक-II/सोनपुर.
8.	फायर ऑफिसर / हाजीपुर (बिहार सरकार) के माध्यम से दिनांक : 03.06.2018 को दी गई ऑडिट रिपोर्ट का शत - प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित लंबित है .	अपर मंडल रेल प्रबंधक-II/सोनपुर.
9.	फायर कंट्रोल रूम के लिए एक रूम आवंटित किया जाय , जिसमे फायर से संबंधित सभी सामान रहेगा . यह रूम निरीक्षक, आरपीएफ पोस्ट , रेसुब के चार्ज में रहेगा .	अपर मंडल रेल प्रबंधक-II/सोनपुर , सहायक सुरक्षा आयुक्त (पीएस).
10.	रोप फायर लैडर को छत पर एक कक्ष में अलग से रखी जायेगी ताकि आग लगने पर उसे उपर से निचे फेक कर फसे हुए व्यक्तियों	अपर मंडल रेल प्रबंधक-II/सोनपुर सहायक सुरक्षा आयुक्त (पीएस).

11/3/2020 17/3/20

	को इसके सहारे नीचे उतरा जा सके . इसके लिए छत पर एक कक्ष आवंटित किया जाय / बनाया जाय जो कि निरीक्षक , आरपीएफ पोस्ट, रेसुब के चार्ज में रहेगा .	
11.	रात्रि में भवन के सभी कार्यालयों की लाइट्स को बंद करके रखना सुनिश्चित किया जायगा . विद्युत विभाग एवं सब स्टेशन से बिजली सप्लाई नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होगा .	सभी विभागाध्यक्षों के सचिव, अपर मंडल रेल प्रबंधक-II/सोनपुर.
12.	जिन कक्षों में एक साथ कई कंप्यूटर रखे है , वहाँ पर छत पर मोडयुलर टाइप अग्निशामक यंत्र लगाये जायेंगे .	अपर मंडल रेल प्रबंधक-II/सोनपुर.
13.	**एएमसी :-** 1. अग्निशामक प्रणाली की वारंटी अवधि समाप्त होने पर साझा वार्षिक अनुरक्षण ठेका सोनपुर मंडल कराएगा. 2.चुकि लगाए गए बिजली चालित उपकरणों की तकनीकी जानकारी विद्युत विभाग के पास है. उसी तरह इंजीनियरिंग विभाग एवं यांत्रिक विभाग से संबंधित उपकरणों की जानकारी संबंधित विभागों को है . अत एएमसी की टर्म्स एंड कंडीशन्स एवं स्पेसिफिकेशन बनाने में तथा उनके सही प्रकार से कार्यानव्यन में सभी संबंधित विभाग सोनपुर मंडल की सहायता करेंगे तथा एएमसी होने के पश्चात एएमसी फार्म के प्रतिनिधियों के साथ संबंधित विभाग के सुपरवाईजर निश्चित अंतराल पर उपकरणों की आवधिक जाँच करते हुए उपकरणों का सही प्रकार से कार्य योग्य होना सुनिश्चित करेंगे .	अपर मंडल रेल प्रबंधक-II/सोनपुर. सहायक सुरक्षा आयुक्त (पीएस), मुख्य यांत्रिक इंजीनियर.

PCME 11/3/20 PCEE 13/03/2020 PCE 17/3/20 PCSC 21/5 ADRM-II/SEE 22/5/2020 DGM/G 06/03/2020